सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं.RCMS2020/00112

<u>न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर</u>

पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी, आर.ए.एस.

<u>न्याय निर्णयन आवेदन सं0 24/2020</u>

श्री हरीराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री पांचाराम पुत्र श्री अर्जुनराम जाट —नमूना विक्रेता एवं मालिक—
   मै0 जय बजरंगबली, मिष्ठापन भण्डार, वार्ड नं. 16, लकडमंडी, श्रीकरनपुर —जिला श्रीगंगानगर।
   निवासी :— वार्ड नं.16, लक्कडमंडी, श्रीकरनपुर ,जिला श्रीगंगानगर।

अभियुक्त

<u>अपराध अ0 धारा 26 उपधारा (2)(2)/54 खाद्य सुरक्षा</u>
<u>एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011</u>

<u>निर्णय</u> दिनांक : 03.11.2020

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 17.05.2017 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 17.05.2017 से वर्तमान कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त जिला श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र अग्रिम आदेशों तक आवंटित किया है।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.12.2019 को दोपहर पूर्व 12.30 बजे श्री प्रवीण खत्री, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के साथ मैसर्स जय बजरंगबली, मिष्ठान भण्डार, वार्ड नं.16, लक्कडमण्डी, श्रीकरनपुर— जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचे। वहां पर श्री पांचाराम पुत्र श्री अर्जुनराम जाट निवासी वार्ड नम्बर 16, लक्कडमण्डी, श्रीकरनपुर, जिला श्रीगंगानगर उपस्थित मिला जिसने स्वयं को मैसर्स जय बजरंग बली मिष्ठान्न भण्डार, का मालिक होना बताया। उपस्थित को निरीक्षण दल ने अपना परिचय देकर उक्त मिष्ठान्न भण्डार किया तो टीन एक पीपे में लगभग 15 किलोग्राम **खुरमानी (छैना मिठाई)** ग्राहको को सर्व करने हेतु रखा बताया। मिलावट/नकली का शक होने पर नमूना जॉच **K-1010** के नमूनीकरण के लिये पीपे में 2 किलोग्राम **खुरमानी (छैना मिठाई)** विधि अनुसार खरीदा जिसकी कीमत 320/—रू0 (अखरे रूपये तीन सौ बीस मात्र) का नगद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा गवाहान श्री विजयकुमार एवं श्री प्रवीण खत्री के हस्ताक्षर है एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरिराम वर्मा ने भी हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्त्ता श्री पांचाराम पुत्र श्री

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Web Copy - Not Official

श्री अर्जुनराम जाट एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं 05 की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्त्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा **खुरमानी (छैना मिठाई)** को बराबर बराबर मात्रा में चार प्लास्टिक की बोतलों में भरकर एवं उनमें परिरक्षक मिलाकर उनके ढक्कनों को कसकर बंद किया एवं टेप चिपकाई। इसके बाद इन चारों नमूना भागो पर लेबल चिपकायें एवं उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक **K-1010** एवं अन्य विवरण दर्ज किया। प्रत्येक नमूना कोड पर खाद्य करोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षयुक्त पेपर स्लिप **K-1010** को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार 4–4 जगह मोडकर सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य विक्रेता ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

फूड एनालिस्ट राजस्थान जयपुर द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/3104/एक्ट/2019/2651 दिनांक 24.12.2019 **नमूना K-1010 खुरमानी (छैना मिठाई)** अमानक **बाहरी पदार्थ युक्त (Containing Extranious Matter)** होना पाया गया है। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त पांचाराम पुत्र श्री अर्जुनराम जाट वार्ड नं.16, लक्कडमंडी, श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **खुरमानी (छैना मिठाई)** 26(2)(2)/54 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 18.09.2020 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी अपनी दुकान मैसर्स जय बजरंग बली मिष्ठान भण्डार श्रीकरनपुर का मालिक है। प्रार्थी को आपके विभाग से एक नोटिस क्रमांक 1095 दिनांक 21.09.2020 का दिया है कि आपकी दुकान में छैना मिठाई की जांच की गई तो **बाहरी पदार्थ युक्त (Containing Extranious Matter)** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त छैना मिठाई में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **खुरमानी (छैना मिठाई)** का सैम्पल के–1010 जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/3104/एक्ट/ 2019/

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2651 दिनांक 24.12.2019 द्वारा **बाहरी पदार्थ युक्त (Containing Extranious Matter)** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उप धारा 26(2)(2)/54 के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है। जिसमें अधिकतम 5,00,000 रूपये की शास्ति का प्रावधान है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि प्रार्थी अपनी दुकान मैसर्स जय बजरंग बली मिष्ठान भण्डार श्रीकरनपुर का मालिक है। प्रार्थी को आपके विभाग से एक नोटिस क्रमांक 1095 दिनांक 21.09.2020 का दिया है कि आपकी दुकान में छैना मिठाई की जांच की गई तो **बाहरी पदार्थ युक्त (Containing Extranious Matter)** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त छैना मिठाई में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने पत्रावली एवं Food Analyst की दिनांक 24.12.2019 की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया। अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(2)/54 का उल्लधन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 54 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के पश्चात **खुरमानी (छैना मिठाई)** विक्रेता एफएसएसए–2006 की धारा 31(2) की श्रैणी में आता है। अभियुक्त पांचाराम पुत्र श्री अर्जुनराम जाट, नमूना विक्रेता एवं मालिक –पर **बाहरी पदार्थ युक्त (Containing Extranious Matter)** के तहत **खुरमानी (छैना मिठाई)** का विक्रय करने पर धारा 26(2)(2)/54 के तहत 1.0000/–रूपये (अखरे रूपये दस हजार मात्र) शास्ति अधिरोपित की जाती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त **खुरमानी (छैना मिठाई)** का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत चेतावनी देते हुए विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **खुरमानी (छैना मिठाई)** के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(डा. गुजन सोनी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर।